

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

अन्तर सिंह नेहरा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
10/अपील/19

तारीख दायरा
02.01.2019

तारीख निर्णय
08.06.2020

रामदेव आ0 केसरीलाल जाति लोधा,
निवासी ग्राम अल्कोदिया, तहसील एवं जिला बून्दी

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित—

अपीलान्त की ओर से श्री सैयद फैसल हुसैन, एडवोकेट।
रेस्पोंडेन्ट की ओर से परोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.18 (मिसल संख्या 135/2018) से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। जिसमें अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को विधिविरुद्ध बताते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को कोई नोटिस नहीं दिया तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर अपीलांत की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित कर सिविल



जिला कलेक्टर; बून्दी

सजा के दण्ड से दण्डित किया। जिससे अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। ऐसे में अपीलांत अपने अधिकारों से वंचित हो गया। पटवारी हल्का ने मौके पर कब्जे की जांच किये बिना ही अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश कर दी गई जबकि अपीलांत का उक्त भूमि के किसी भूभाग पर कभी कब्जा नहीं रहा है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त निर्णय विधि विरुद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। निर्णय के बाद आरोपित शास्ति अपीलांत द्वारा जमा करवा दी है, वर्तमान में उक्त भूमि बाबत अपीलांत पर कोई राशि राजकोष में जमा से शेष नहीं है। अपीलांत को किसी प्रकार का बेदखली का आदेश नहीं दिया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उसको पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माने जाने में कानूनी त्रुटि की है। चूंकि अपीलांत द्वारा उक्त भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा पेनल्टी राशि जमा करवा दी है, अपीलांत अब उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं करेगा। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कठोर दण्ड सिविल सजा को निरस्त किया जाना न्यायहित में है। अभिभाषक अपीलांत द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.02.18 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांत ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी सिवायचक भूमि है। अपीलांत बार बार अतिचार करने का आदी है, अपीलांत के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि रिपोर्ट पटवारी से होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया है कि अपीलांत ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया जाना बताया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत को दिनांक 25.01.18 को विधिवत नोटिस दिया गया था, जो श्यामसुन्दर पर तामील होना अंकित है। ऐसे में सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का अपीलांत का आरोप निराधार प्रतीत होता है।



अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट ने भूमि खसरा संख्या 634/394 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म बंजड़ सिवायचक वाके ग्राम अल्कोदिया पर संवत् 2074 मौसम रबी में गेहूँ की फसल काशत कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली, फसल नीलामी, 313/- रु. शास्ति तथा तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अतिक्रमी द्वारा संवत् 2074 मौसम खरीफ में भी चावल की फसल कर उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिस पर से अतिक्रमी को पूर्व में भी बेदखल किया गया था। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट बार बार अतिचार करने के आदी है। अपीलान्ट के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी होने की पुष्टि न्यायालय तहसीलदार बून्दी की पत्रावली सं. 1590/17 निर्णय दिनांक 16.10.17 की पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति से होती है, किन्तु दौराने बहस अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से कब्जा छोड़ दिये जाने एवं शास्ति राशि जमा करवा दिये जाने की बात कही है।

अतः न्यायहित में RRD 2009 पेज 548, RRD 2015 पेज 102 एवं RRD 2019 पेज 480 की नजीरों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से मौके पर कब्जा छोड़ दिया हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा राज्यहित में कब्जा प्राप्त कर लिया हो, अधिरोपित शास्ति जमा करा दी गई हो, अपीलांट भविष्य में पुनः किसी राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करेगा, इस आशय का शपथपत्र अपीलांट ने प्रस्तुत कर दिया हो, तब तहसीलदार बून्दी इन सब तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर ले, तो इसे पत्रावली सं. 89/2018 की आदेशिका में उल्लेखित करने के उपरान्त, अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित नीलामी, शास्ति एवं बेदखली से संबंधित आदेश यथावत रखते हुये, केवल सिविल सजा का आदेश निरस्त रखा जावे। अपीलांट द्वारा ऐसा नहीं करने की दशा में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.02.18 यथावत रहेगा। पत्रावली फसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.06.2020को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/6/2020
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलेक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी

